Circular

15/25

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

पत्रांक-12:01:06:46:2016- 7466 दिनांक- 15/06/16

प्रेषक,

गंगा कुमार,
प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- खाद्यान्न ढोनेवाले वाहन में जी0पी0एस0 बन्द पाये जाने, मार्ग में परिवर्तन, खाद्यान्न के गंतव्य पर नहीं पहुँचने तथा उससे निगम को हुई हानि की जवाबदेही निर्धारित किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः- निगम मुख्यालय के पत्रांक 13130 दिनांक 16.10.15, पत्रांक 6979 दिनांक 7.6.16.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में पुनः सूचित करना है कि खाद्यान्न ढुलाई में प्रयुक्त वाहन में निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जायः-

1. खाद्यान्न ढुलाई में प्रयुक्त वाहन में जी0पी0एस0 एवं लोडशेड अनिवार्य रुप से लगा रहना चाहिए।
2. खाद्यान्न ढोने में आरम्भ स्थान से लेकर गंतव्य तक पहुँचने तक जी0पी0एस0 "ऑन" रहनी चाहिए।
3. बिना जी0पी0एस0 युक्त वाहन से खाद्यान्न की ढुलाई किसी भी परिस्थिति में न की जाय।
4. किसी भी हालत में निर्धारित मार्ग में परितर्त्तन न किया जाय। अगर परिवर्त्तन करना है तो उसकी स्वीकृति जिला पदाधिकारी से ली जाय।
5. निर्धारित मार्ग में अनावश्यक गाड़ी खड़ी न रहे।

खाद्यान्न युक्त वाहनों के परिचालन के दौरान उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में से कोई एक भी गड़बड़ी पाई जाय तो 24 घंटों के अन्दर अपने मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय भेजी जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाद्यान्न को गंतव्य तक पहुँचने में हुई गड़बड़ी में आपकी सहभागिता की प्रवल आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी की सहभागिता मानी जाएगी तथा निगम को हुई हानि को बजार दर पर मूल्य निर्धारित कर (1) परिवहन अभिकर्त्ता से सौ प्रतिशत तथा (2) सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के मानदेय से दस प्रतिशत राशि वसूल की जाएगी। साथ ही Agreement के प्रावधानों के आलोक में अलग से कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 7466 दिनांकः- 15/06/16

प्रतिलिपिः- प्रमुख वित्त/प्रमुख टी0पी0डी0एस0/प्रमुख दावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 7466 दिनांकः- 15/06/16

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः- 7466 दिनांकः- 15/06/16

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रबंध निदेशक।